रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 24, 1970/माघ 4, 1891

No. 9] **NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 24, 1970/MAGHA 4, 1891**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 24th January 1970

G.S.R. 155.—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Excise (Third Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Excise Rules, 1944, in sub-rule (2) of rule 173G, after proviso (iii), the following proviso shall be inserted, namely:—

"(iv) in respect of removal of any goods after 6 o'clock in the afternoon on the day preceding the date appointed for the presentation of the annual or any supplementary Budget of the Central Government to Parliament, the provisions of sub-rule (1) of rule 224 shall apply."

[No. 4/70-C.E./F.No.11/1/69-CX.I/CX.6.]

A. S. BERAR, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1970

सा० का० नि० 155 :—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944, में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (तृतीय संशोधन) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त हो जाएंगे।

2 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 173 छ के उपनियम (2) में, परन्तुक (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(iv) केन्द्रीय सरकार के वार्षिक या किसी अनपूरक बजट के संसद को पेश किए जाने के लिए नियत तारीख से ठीक पूर्ववर्ती दिन को 6 बजे अपराह्न के पश्चात् कोई माल हटाए जाने की बाबत, नियम 224 के उपनियम (1) के उपबन्ध लागू होंगे।"

[सं० 4/70 के० उ० शु०/एफ० सं० 11/1/69—सी एक्स 1/सी—एक्स 6]

ए० एस० बराड़, उप सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970